कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–संरक्षण)

सतपुड़ा भवन, म0प्र0 भोपाल
Tel. (Office)2674212,2551450(Fax) 2551450,Email:Apcfprot@mpforest.org

क्रमांक / 2016 / 10–10 6135 भोपाल, दिनाक 10 / 11 / 2016

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन सरंक्षक(क्षेत्रीय),
   मध्यप्रदेश
2. समस्त क्षेत्र संचालक,
   राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश
3. क्षेत्रीय महाप्रबंधक,
   मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम,
   भोपाल, मध्यप्रदेश

विषयः– मध्यप्रदेश राज्य के वनों में जैव विविधता के संरक्षण हेतु जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 के नियम का उपयोग किया जाना।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन, जैव विविधता एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1–2–2003–सत्तावन दिनांक 17 दिसम्बर 2004

––00––

अराष्ट्रीयकृत वनोपज के बाजार के बढ़ते मांग एवं मूल्य में वृद्धि होने के कारण अराष्ट्रीयकृत वनोपजों का वनक्षेत्रों से स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। कुछ प्रकरणों में अधिक से अधिक वनोपज प्राप्त करने के उद्देश्य से असंवहनीय पद्धति से संग्रहण किया जाता है। जैसे वृक्षों को काटकर, गोंद हेतु रसायनों का उपयोग कर अथवा जड़ से उखाड़कर क्षति पहुंचाई जाती है, जिससे काफी सारी प्रजातियां संकटापन्न स्थिति में हो गई हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन मांगा जाता है।

इस तारतम्य में संदर्भित नियमों के उपबंध 17 में:– *''**जैव संसाधनों तक पहुंच / उनके संग्रहण की प्रकियाः**–(1) उनका **संग्रहण** चाहने वाला कोई व्यक्ति इन नियमों से संलग्न प्रारूप–1 में बोर्ड को आवेदन करेगा। प्रत्येक आवेदन के साथ यदि ऐसी पहुंच अनुसंधान के प्रयोजन के लिये है तो 100 रूपये और **वाणिज्यिक उपयोग के लिये 1000 रूपये फीस होगी** और वह चैक या डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में होगी।''* का प्रावधान है।

जैव विविधिता अधिनियम, 2002 में शस्ती के रूप में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों के उल्लंघन के संबंध में प्रावधान है कि:–

धारा 55:– ***जो कोई उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रूपये तक का हो सकेगा और जहां कारित नुकसान दस लाख रूपये से अधिक हो वहां जुर्माना कारित नुकसान के अनुरूप होगा अथवा दोनों से दण्डनीय किया जायेगा।***

धारा 58:—*इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।*

धारा 59:—*इस अधिनियम के उपबंध वन और वन्य जीव से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और न कि उनके अल्पीकरण में।*

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना कमांक एस. ओ. 1352 (ई) दिनांक 07 अप्रैल 2016 द्वारा वनों से संग्रहीत की जाने वाली 61 प्रकार की वनोपज (फूल, फल, बीज, गोंद, जड़, तना एवं पत्ती) (परिशिष्ट **संलग्न**) को उपरोक्त अधिनियम से मुक्त किया है, परन्तु इन वनोपजों पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत मध्यप्रदेश वन उपज (जैव विविधता का संरक्षण एवं पोषणीय कटाई) नियम, 2005 के प्रावधान लागू किये जा सकते हैं।

वनों में जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु व्यापारिक दृष्टि से वनों से संग्रहीत की जाने वाली वनोपज के संबंध में जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत बनाये गये मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 के उपबंध 17 के प्रावधान का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें तथा ऐसी वनोपज जो कि अधिसूचना से मुक्त की गई हैं, उनमें मध्यप्रदेश वन उपज (जैव विविधता का संरक्षण एवं पोषणीय कटाई) नियम, 2005 के प्रावधान भी लागू किये जायें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

10/11/16

(डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. कमांक/2016/10—10/5136 भोपाल, दिनाक 10/11/2016

प्रतिलिपिः—1. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना), मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश जैव विविधता बोर्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)/उप संचालक, राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. समस्त मण्डल प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10/11/16

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना कमांक एस.ओ. 1352 (ई) दिनांक 07 अप्रैल 2016 द्वारा वनों से संग्रहीत की जाने वाली वनोपज, जिन्हें जैव विविधता अधिनियम, 2002 से मुक्त किया है, परन्तु इन वनोपजों पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत मध्यप्रदेश वन उपज (जैव विविधता का संरक्षण एवं पोषणीय कटाई) नियम, 2005 के प्रावधान लागू किये जा सकते हैं।

परिशिष्ट

S.No.	Items	Biological resources	Illustrative trade or common name	Plant part	Source:(cultivated=C; wild=W; cultivated plus wild=Mixed-M)
1	2	3	4	5	6
152.a	XVII.Fruit Crops	Carissa carandas	Karanda/Currants	Fruit	M
152.b		Carissa carandas	Karanda/Currants	Seed	M
168.a		Grewia asiatica	Phalsa	Fruit	M
180		Phyllanthus emblica	Aamla	Fruit	M
235.a	XIX.Medicinal Plants (incl. medicinal crops and aromatic plants)	Acacia nilotica	Babul	Leaf	M
235.b		Acacia nilotica	Babul	Gum	M
236.a		Achyranthes aspera	Apamarga	Whole Plant	M
236.b		Achyranthes aspera	Apamarga	Fruit	M
236.c		Achyranthes aspera	Apamarga	Root	M
246.b		Azadirachta indica	Neem	Fruit	M
247		Bacopa monnieri	Nirbrahmi	Whole Plant	M
249.a		Boerhavia diffusa	Punarnava	Root	M
249.b		Boerhavia diffusa	Punarnava	Whole Plant	M
252		Calotropis gigantea	Akh phool	Flower	M
253.a		Calotropis procera	Akh	Leaf	M
253.b		Calotropis procera	Akh	Latex	M
254.a		Cassia fistula	Amalthasphali	Flower	M
254.b		Cassia fistula	Amalthasphali	Fruit	M
255.a		Cassia tora	Chakoda Beeja	Fruit	M
255.b		Cassia tora	Chakoda Beeja	Seed	M
255.c		Cassia tora	Chakoda Beeja	Leaf	M
257.a		Centella asiatica	Bramhi	Leaf	M
257.b		Centella asiatica	Bramhi	Whole Plant	M
264		Cissus quandragularis	Hathajodi	Stem	M
265.a		Citrullus colocynthis	Indrayan	Fruit	M
269		Cuscuta reflexa	Amer bel	Whole Plant	M
270		Cymbopogon citratus	Lemongrass	Leaf	M
272.b		Cymbopogon martinii	Palmarosa/Gingergrass	Leaf	M
274		Cyperus rotundus	Nagarmotha	Root	M
275		Cyperus scariosus	Nagarmotha	Root	M
278		Eclipta prostrata	Bhringaraj	Whole Plant	M
281		Evolvulus alsinoides	Sankhapushpi	Whole Plant	M
307		Pedalium murex	Bada gokhru	Fruit	M

315		Pongamia pinnata	Karanj	Seed	M
19.a		Sida cordifolia	Bala	Root	M
19.b		Sida cordifolia	Bala	Fruit	M
19.c		Sida cordifolia	Bala	Seed	M
19.d		Sida cordifolia	Bala	Whole Plant	M
20.b		Silybum marianum	Milk Thistle	Leaf	M
22.a		Solanum nigrum	Kalamachi	Fruit	M
22.b		Solanum nigrum	Kalamachi	Root	M
22.c		Solanum nigrum	Kalamachi	Whole Plant	M
24.a		Solanum pubescens	Sundai kaai	Leaf	M
24.b		Solanum pubescens	Sundai kaai	Fruit	M
26.a		Solanum xanthocarpum	Kateli	Fruit	M
26.b		Solanum xanthocarpum	Kateli	Whole Plant	M
27.a		Sphaeranthus indicus	Gorak mundi	Whole Plant	M
27.b		Sphaeranthus indicus	Gorak mundi	Inflorescence	M
29.a		Tephrosia purpurea	Sarad foka	Leaf	M
29.b		Tephrosia purpurea	Sarad foka	Root	M
29.c		Tephrosia purpurea	Sarad foka	Seed	M
29.d		Tephrosia purpurea	Sarad foka	Fruit	M
30.a		Terminalia catappa	Jungli badam	Seed	M
30.b		Terminalia catappa	Jungli badam	Fruit	M
30.c		Terminalia catappa	Jungli badam	Leaf	M
31.a		Thespesia populnea	Parisha	Leaf	M
31.b		Thespesia populnea	Parisha	Fruit	M
335		Tribulus terrestris	Gokshura	Fruit	M
336		Vinca minor	Periwinkle	Leaf	M
337.b		Vitex negundo	Karinochi/Neergundi	Seed	M
338		Vitex trifolia	Nekki	Leaf	M
340		Woodfordia fruiticosa	Diaphool	Flower	M
341		Ziziphus jujuba	Jujuba	Fruit	M

10/11/16

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–संरक्षण)

सतपुड़ा भवन, म0प्र0 भोपाल
Tel. (Office)2674212,2551450(Fax) 2551450,Email:Apcfprot@mpforest.org

क्रमांक / 2016 / 10–10 5137 भोपाल, दिनांक 10 / 11 / 2016

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन सरंक्षक(क्षेत्रीय),
   मध्यप्रदेश
2. समस्त क्षेत्र संचालक,
   राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश
3. क्षेत्रीय महाप्रबंधक,
   मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम,
   भोपाल, मध्यप्रदेश

विषयः– वन एवं वन्यप्राणी अपराधों में जैव विविधता नियम के प्रावधानों का अधिरोपण।
संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1329 (अ) दिनांक 07 जून 2010

––00––

कृपया संदर्भित अधिसूचना का अवलोकन करें। संदर्भित अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके मध्यप्रदेश राज्य के लिये पादपों एवं वन्य जीव प्रजातियों, जो विलुप्ति के कगार पर हैं, को जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के तहत अधिसूचित किया गया है। इन पादपों एवं वन्य जीवों को मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के अनुमोदन के सिवाय संग्रह प्रतिबंधित है।

इस अधिनियम की धाराओं के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिये निम्नानुसार दण्डात्मक प्रावधान हैं:–

धारा 55:– *जो कोई उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रूपये तक का हो सकेगा और जहां कारित नुकसान दस लाख रूपये से अधिक हो वहां जुर्माना कारित नुकसान के अनुरूप होगा अथवा दोनों से दण्डनीय किया जायेगा।*

धारा 58:– *इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।*

धारा 59:– *इस अधिनियम के उपबंध वन और वन्य जीव से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और न कि उनके अल्पीकरण में।*

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 120 (अ) दिनांक 07 जून 2009 की धारा 61 (क) के तहत वन अधिकारी जो रेंज ऑफिसर के रैंक से कम न हों, उनके अपने–अपने अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने (परिवाद प्रस्तुत करने) के लिये प्राधिकृत किया गया है।

अतः संदर्भित अधिसूचना में सूचीबद्ध पादपों एवं वन्य जीवों के संबंध में अपराधियों पर वन अधिनियमों के अतिरिक्त जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन का भी अपराध दर्ज करना सुनिश्चित करें।

10/11/16
(डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/2016/10-10/ 5138 भोपाल, दिनांक 10 /11/2016

प्रतिलिपिः-1. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना), मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश जैव विविधता बोर्ड की ओर संदर्भित अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 3 के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)/उप संचालक, राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. समस्त मण्डल प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10/11/16
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
मध्यप्रदेश, भोपाल